

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक श्रीगंगानगर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिये)

सेवानिवृत्ति के आदेश का प्रारूप

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

संबंधित संस्था प्रधान की सूचना के अनुसार निम्नांकित कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके नाम के आगे अंकित तिथि से इनकी सेवा समाप्त की जाकर सेवानिवृत्ति तिथि घोषित की जाती है :-

क्रस	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवासमाप्ति तिथि
1	श्रीमती देववन्ती	अध्यापक	राउमावि ततारसर, जिला श्रीगंगानगर	01.07.1975	05.03.2021 मृत्यु
2	श्रीमती आत्मा देवी	अध्यापक	राउमावि 58 एफ, करनपुर जिला श्रीगंगानगर	15.06.1969	09.04.2021 मृत्यु
3	श्री महावीर प्रसाद बिश्नोई	अध्यापक	राउमावि संधर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर	15.06.1965	25.04.2021 मृत्यु

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- (अ) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (ब) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशिष्ट प्रक्रिया की कार्यावाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (स) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

www.rajteachers.com

क्रमांक: जिशिअ/मु.मा./गंगा/संस्था-II/से.नि./2021/ 5390

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, बीकानेर।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर।
3. पीईईओ एवं प्रधानाचार्य राउमावि ततारसर/ 58 एफ/ संधर।
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित संस्था प्रधान।
6. रक्षित पत्रावली।

(डालचन्द मैनारिया)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय-माध्यमिक
श्रीगंगानगर
दिनांक : 04-05-2021

45-21
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय-माध्यमिक
श्रीगंगानगर